I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, KAPURTHLA

(MAIN CAMPUS)

Ref No :- IKGPTU/DR/MC/2021/405 **Date :- 22.09.2021**

Circular

It is informed that Uttar Pradesh Post Matric Scholarship Scheme for session 2021-22 is now open for registration at U.P. Scholarship Portal https://scholarship.up.gov.in. Eligible students of Uttar Pradesh state studying at IKGPTU Main Campus and who belong to SC/ST/ General Category with family income less than 2.50 Lac annual (2.00 Lac for General category) can register and apply online at the portal for aforementioned scholarship scheme. The scholarship activity schedule is as under:

Activity	Date
Last Date to submit online application by students	21.10.2021
Submission of all documents for verification in the office of undersigned	25.10.2021

Applicants need to upload following documents at the portal during online application submission:

- Income Certificate issued by Competent Authority in respect of parent/guardian of the student
- Caste Certificate issued by competent authority
- Fee receipts of academic fee/ hostel/ mess fees
- Copy of High School Certificate, Marks Sheets/ Certificates of previous examinations
- Affidavit by students if there is gap between his/her study
- Copy of Aadhar Card of Student
- Copy of Bank passbook (which is linked with Aadhar Card of the applicant)
- Attendance details

Following the submission of online application, applicants should submit the self attested hard copies of aforementioned documents along with printout of application form to the concerned HoD for forwarding to the office of undersigned latest by 25.10.2021. Guidelines of the scholarships are attached herewith and also available at the U.P. Scholarship Portal.

Please note that, as per guidelines, students belonging to Other Backward Classes are not eligible for scholarship even if they are enrolled under General Category at IKGPTU Main Campus. In addition, if results of both previous semesters have not been declared yet, candidate should apply online by selecting "Result Not Declared" option.

For any queries, students may contact at 9478098062.

(Sumeer Sharma)
Assistant Registrar (Main Campus)

Cc:

1. Director (Main Campus)
2. Dean (Student Welfare)
3. All HoDs (Teaching): For circulation among students
4. DR (Main Campus)
5. Incharge (ITS): For uploading on IKGPTU Main Campus website

छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1–छात्र क्या करें:–

- ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्रदत्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले संस्थानों को ए0आई0सी0टी0ई0 के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु एन0बी0ए0 ग्रेडिंग तथा निजी विश्वविद्यालय को छात्रवृत्ति हेतु नैक ग्रेडिंग–बी अथवा उससे ऊपर होना आवश्यक।
- छात्रों हेतु आनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंकपत्र/प्रमाण पत्र, जाति/आय प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी), पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन कमांक, आधार नम्बर, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो आदि अभिलेख होना आवश्यक।
- हाई–स्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण–पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि का उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना आवश्यक ।
- आधार नम्बर का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) (नाम एवं जन्म तिथि का मिलान) तथा आधार लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओ0टी0पी0 को अंकित करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को आनलाइन टेम्पेरेरी लाक कर सकेगा।
- आधार नम्बर से लिंक बैंक खाता एवं एन0पी0सी0आई0 में सीडिंग अनिवार्य है। इस कार्य को सम्बन्धित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा की स्थिति में ट्रांजेक्शन फेल होने की सम्भावना रहेगी। वित्तीय वर्ष 2021–22 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नम्बर से जुड़े बैंक खाते में ही होगा।
- अपना आधार लिंक बचत बैंक खाता (बैंक खाते में लिंकिंग एवं एन0पी0सी0आई0 में सीडिंग के साथ) संचालित रखें, न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखें एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो तथा हर 03 माह में बैंक खाते में ट्रांजेक्शन अवश्य करें।
- आधार लिंक बचत बैंक खाते को भलीभांति जांच लें। बिना आधार सीडेड खाता संख्या (बैंक खाते में लिंकिंग एवं एन0पी0सी0आई0 में सीडिंग के साथ) भरने पर पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से छात्र का आवेदन रिजेक्ट हो जायेगा। नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें जिनका आधार एवं ओटीपी प्रमाणीकरण एक बार हो चुका है, उसे पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- छात्र अपना आवेदन आनलाइन करने के पश्चात एवं टेम्परेरी लाक करने से पूर्व अपना सम्पूर्ण विवरण यथा– हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट का रोल नम्बर, जाति/आय प्रमाण–पत्र का कमांक एवं आवेदन का कमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यकम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यकम एवं पाठ्यकम का प्रकार, आय प्रमाण–पत्र में अंकित आय, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि का किया गया अंकन सावधानीपूर्वक जांच लें।
- सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिये पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि साइबर कैफे/संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं जांच का प्रिन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन सब्मिट करें।
- आवेदन पत्र सब्मिट करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगें, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय प्रमाण–पत्र कमांक एवं आवेदन कमांक, आय तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लागिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। सही करने के उपरान्त (हाईस्कूल रोल नम्बर को छोड़कर) ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सब्मिट (Submit) करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें एवं संस्थान से आवेदन पत्र जमा करने की पावती अवश्य लें।
- अनिवार्य वार्षिक शुल्क (Non Refundable fees) के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि ही अंकित करें।
- छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें, न कि नवीन आवेदन पत्र भरें। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक तथा वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन कमांक भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र आवेदन पत्र में विगत कक्षा के पूर्णांक/प्राप्तांक को सही भरें क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा अपलोड किये गये परीक्षाफल से किया जायेगा।

- सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्त पोषित ही रहेगा। शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (AIDED) संस्थानों में पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार (नियमित (Regular)/स्ववित्त पोषित (SELF FINANCE) व उसके वर्ष का अंकन सही–सही ध्यानपूर्वक करें।
- छात्र/छात्रायें स्वंय का ई0–मेल आई0डी0 व आधार नम्बर से लिंक स्वयं का मोबाइल नम्बर ही दें।
- वर्तमान सत्र हेतु प्रचलित नियमावली, समय–सारिणी, प्रदर्शित सूचनायें एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु https://scholarship.up.gov.in पर समय–समय पर सर्च करें एवं वेबसाइट पर निरन्तर प्रदर्शित हो रहे आवश्यक निर्देशों का भली–भांति पालन करें एवं समय–सारिणी में दी गयी समयावधि का उल्लंघन कदापि न करें।
- छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लागिन एवं पासवर्ड के माध्यम से स्वयं देख सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित करने/रिजेक्ट होने पर छात्र के मोबाइल पर एस0एम0एस0 भी जायेगा। संस्थान द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में अग्रसारित होना आवश्यक है।

2–छात्र क्या न करें।

- शिक्षण संस्था में जमा करने के लिये आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। शिक्षण संस्थान में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा– आधार नम्बर,हाईस्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड एवं अन्य कोई भी डाटा अथवा अभिलेख किसी से भी साझा (Share) न करें।
- आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें।
- अनुत्तीर्ण (Fail) छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें। छात्र वार्षिक परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दो सेमेस्टर का परीक्षाफल प्रकाशित होने पर) का परीक्षाफल प्रकाशित न होने पर अगली कक्षा हेतु आवेदन पत्र में **Result Yet Not Declared** का आप्शन भरकर आवेदन कर सकेगें। **Result Yet Not Declared** से सम्बन्धित छात्र का आवेदन प्रत्येक दशा में संदेहास्पद डाटा के रूप में प्रदर्शित होगा तथा छात्र का परीक्षा फल सन्देहास्पद डाटा को सही करने की दी गई समयावधि में छात्र द्वारा पूर्ण करके आवेदन को फाइनल सब्मिट करना होगा तथा संस्था को भी परीक्षा परिणाम की पुष्टि करते हुए समयान्तर्गत अग्रसारित करना होगा। सन्देहास्पद डाटा को सही करने की अन्तिम तिथि तक परीक्षाफल घोषित न होने पर ऐसे डाटा को छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी अर्थात डाटा को जनपद स्तर पर रिजेक्ट कर दिया जायेगा।
- शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिन्ट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जायेगा। समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि में संशोधन करने के उपरान्त भी संस्थान में जमा करने हेतु संशोधित फाइनल प्रिन्ट निकाल कर संस्था में जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरान्त ही संशोधित आवेदन पत्र मान्य होगा।
- छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं होगी। यदि छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन करते समय किसी अन्य छात्र/छात्रा का आधार नम्बर, हाई–स्कूल रोल नम्बर, बैंक खाता, आय एवं जाति प्रमाण–पत्र तथा कोई अन्य अभिलेख प्रयोग किया हुआ पाया जाता है तो छात्र एवं संस्था के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि छात्र का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में आ जाता है तो सन्देह के कारण का उत्तर साक्ष्यों सहित अपनी संस्था के माध्यम से आनलाइन देना होगा। जनपद स्तरीय अधिकारियों (जिला समाज कल्याण अधिकारी/ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को संस्थान के माध्यम से छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्धारित समयावधि में आनलाइन उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा दिये गये उत्तर/अभिलेखों से छात्र के सही होने के दावे की पुष्टि नहीं होने पर जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निर्णय प्राप्त करते हुये डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से अस्वीकृत (REJECT) कर दिया जायेगा।

निदेशक
समाज कल्याण

(सिद्धार्थ मिश्र)
सहायक निदेशक
निदेशालय समाज कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ

(जे0 राम)
उपनिदेशक

(पी0 के0 त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक

19/4/2021
(राकेश कुमार)

वर्ष 2021–22 हेतु शैक्षणिक संस्थाओं के लिये आवश्यक सूचना

- सभी संस्थानों के निदेशक/प्राचार्य तथा उनके अधीनस्थ छात्रवृत्ति का कार्य देखने वाले कर्मचारी/अधिकारी द्वारा तत्काल सक्षम प्राधिकारी/एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त कर लें। (यदि पूर्व में नहीं प्राप्त किया है) प्रत्येक संस्थान को अपना मास्टर डाटा वर्ष 2021–22 के लिए जारी समय सारिणी में दी गयी निर्धारित समयावधि में समस्त सूचनाओं (संस्थान का समस्त विवरण, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम का वर्षवार पूर्णांक (सेमेस्टर होने की दशा में दो सेमेस्टर जोडकर एवं सक्षम स्तर से निर्धारित फीस) को अपडेट करते हुये नोडल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक किया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्थायें मास्टर डाटा को अपडेट करने, उनमें पूर्व में प्रदर्शित सूचनाओं में संशोधन करने, पाठ्यक्रम को हटाने या जोड़ने तथा शुल्क के विवरण को अद्यतन करने एवं उससे सम्बन्धित शासनादेशों/आदेशों को अपलोड करने का कार्य निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें। दशमोत्तर कक्षाओं हेतु दिनांक 10 अगस्त, 2021 तक (पूर्वदशम कक्षा 9–10 हेतु 12 अगस्त, 2021) सभी मान्यता प्राप्त संस्थान भी अपने को पंजीकृत करते हुए समस्त सूचनाओं को भरते हुए सम्बन्धित आदेशों को अपलोड करते हुए मास्टर डाटा को डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करेंगे।
- **Result Yet Not Declared** का आप्शन छात्र को आनलाइन आवेदन में पूर्व से पास एवं प्रोन्नत आप्शन के अलावा नया आप्शन दिया गया है तथा ऐसा डाटा संदेहास्पद डाटा के रूप में ही प्रदर्शित होगा तथा छात्र का परीक्षा फल सन्देहास्पद डाटा को सही करने की दी गई समयावधि (16 नवम्बर, 2021 से 26 नवम्बर, 2021 तक) में छात्र द्वारा पूर्ण करके आवेदन को दोबारा फाइनल सब्मिट करना होगा तथा संस्था को भी परीक्षा परिणाम की पुष्टि करते हुए समयान्तर्गत अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। सन्देहास्पद डाटा को सही करने की अन्तिम तिथि तक परीक्षाफल घोषित न होने पर ऐसे डाटा वाले छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी अर्थात डाटा को जनपद/निदेशालय स्तर से रिजेक्ट/ब्लाक कर दिया जायेगा।
- ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्रदत्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली शिक्षण संस्थाओं को एन0बी0ए0 ग्रेडिंग होना आवश्यक है, इसी प्रकार निजी विश्वविद्यालय को नैक ग्रेडिंग–बी अथवा उससे उपर होना आवश्यक है। उक्त दोनो ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र ही छात्रवृत्ति के पात्र होगें। उक्तानुसार संस्थान मास्टर डाटा में अंकन करना सुनिश्चित करेगें तथा छात्रों को प्रवेश देते समय भी इस व्यवस्था के सम्बन्ध में अवगत करायेगें।
- कक्षा 9–10 एवं कक्षा 11–12 के लिए यू0–डाइस (U-DISE) कोड तथा अन्य उच्च कक्षाओं के लिए आइस कोड (AISHE) होना आवश्यक होगा। सभी संस्थान तद्नुसार अपना सही कोड भरना सुनिश्चित करेंगें।
- नवीन शिक्षण संस्थान जिनकी मान्यता 15 जुलाई 2021 या इससे पूर्व की होगी, वे संस्थान ही पोर्टल पर आनलाइन आवेदन समस्त सूचनाओं सहित भरेगें एवं उसे सबमिट करेगें तथा समस्त अभिलेखों की हार्डकापी जिला विद्यालय निरीक्षक/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी (जिससे सम्बद्ध हों) एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी के यहां जमा करेगें। जिला विद्यालय निरीक्षक/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी (जिससे सम्बद्ध हों) द्वारा सत्यापित कर आनलाइन अग्रसारित करने के उपरान्त आनलाइन आवेदन पत्र/हार्डकापी एवं समस्त अभिलेखों के सही पाये जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लागिन एवं पासवर्ड संस्था को दिया जायेगा जिससे नवीन संस्था के नोडल

अधिकारी/प्रार्थी उपरोक्तानुसार मास्टर डाटा पूर्ण/अपडेट करते हुए डिजिटल हस्ताक्षर करेंगें। मास्टर डाटा को डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक न करने की दशा में सम्बन्धित संस्था के छात्र आनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे।

- प्रत्येक संस्था को गतवर्ष छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले छात्र द्वारा गतवर्ष की उपस्थिति का प्रतिशत तथा छात्र गतवर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या नहीं एवं गत वर्ष की परीक्षा के प्राप्तांक एवं पूर्णांक का विवरण मास्टर डाटा के साथ-साथ निर्धारित स्थान पर दिये गये आप्शन में भरना होगा।
- मैनेजमेंट कोटा/स्पाट एडमिशन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान में प्रवेशित छात्र, छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होगें। छात्रवृत्ति नियमावली में दिये गये अन्य प्राविधानों के अनुसार जो छात्र पात्र नहीं होगें, ऐसे छात्रों का डाटा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान किसी भी दशा में अग्रसारित नहीं करेगें। अपात्र छात्र का आवेदन अग्रसारित करने की दशा में संस्थान का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- वर्ष 2021-22 से सभी नवीन छात्रों को अपने आवेदन पत्र में आधार नम्बर (बैंक खाते में लिंकिंग एवं एन0पी0सी0आई0 में सीडिंग के साथ) तथा नवीनीकरण के छात्रों को विश्वविद्यालय नामांकन संख्या एवं बोर्ड पंजीयन कमांक (जैसा लागू हो) भरना होगा। सभी संस्थान अपने यहां अध्ययनरत छात्रों का आधार नम्बर जो कि बैंक खाते में सीडेड हों, अनिवार्य रूप से बनवाकर भरवाना सुनिश्चित करेगें। यह भी ध्यान रखें कि छात्र के आवेदन पत्र में भरी गयी प्रविष्टियां तथा आधार कार्ड में अंकित प्रविष्टियां एक जैसी हों अन्यथा छात्र द्वारा आवेदन भरा नहीं जा सकेगा।
- संस्था अपने यहां अध्ययनरत समस्त छात्रों को भली-भांति यह अवगत करा दें कि पाठ्यकम एवं पाठ्यकम के प्रकार (नियमित (Regular)/स्ववित्त पोषित (SELF FINANCE) का चयन आवेदन पत्र भरते समय सावधानीपूर्वक करें। सभी निजी संस्थानों में पाठ्यकम का प्रकार केवल स्ववित्त पोषित (SELF FINANCE) ही होगा। गलत पाठ्यकम या संस्था द्वारा लाक न किया गया पाठ्यकम/पाठ्यकम का प्रकार (नियमित (Regular)/स्ववित्त पोषित (SELF FINANCE) गलत चयन करने पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी। संस्था छात्र का डाटा अग्रसारित करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि छात्र द्वारा पाठ्यकम एवं पाठ्यकम का प्रकार (नियमित/स्ववित्त पोषित) सही-सही अंकित किया गया है एवं छात्र उसी वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग) का है जो आवेदन पत्र में प्रदर्शित हो रहा है। गलत वर्ग के आवेदन पत्र को अग्रसारित करने पर संस्था की संलिप्तता मानते हुये कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था छात्र का आवेदन आनलाइन प्राप्त करने से पूर्व छात्र का सम्पूर्ण विवरण-हाईस्कूल/इण्टरमीडियट का रोल नम्बर, जाति/आय प्रमाण-पत्र का कमांक एवं आवेदन पत्र कमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यकम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यकम एवं पाठ्यकम का प्रकार, आय प्रमाण-पत्र में अंकित आय, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, छात्र द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि को ठीक ढंग से परीक्षण करने के उपरान्त ही छात्र का आवेदन पत्र अग्रसारित किया जाय। गलत अंकित विवरण के आवेदन पत्र को अग्रसारित करने पर संस्था की संलिप्तता मानते हुये कार्यवाही की जायेगी।

- पूर्वदशम (कक्षा 9–10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु छात्र समय सारिणी में निर्धारित समयावधि में आनलाइन आवेदन कर सकेंगे तथा शैक्षणिक संस्थान छात्र का आवेदन पत्र आनलाइन अग्रसारित कर सकेंगे।
- कई वर्ष की अवधि वाले पाठ्यक्रमों में यदि छात्र किसी भी वर्ष में पहली बार आनलाइन आवेदन पत्र भर रहा है तो उसे नये छात्र के रूप में नया आवेदन भरना होगा। किसी भी पाठ्यक्रम में दूसरी बार छात्र द्वारा आवेदन का नवीनीकरण ही किया जाय, न कि नवीन आवेदन पत्र छात्र भरें। संस्था सभी छात्रों को यह अवगत करा दें कि छात्र को छात्रवृत्ति की धनराशि नियमावली में दी गयी व्यवस्था/वरीयताक्रम के अनुसार धनराशि की उपलब्धता आधार पर सीधे छात्र के आधार लिंक/सीडेड बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी। नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें जिनका आधार एवं ओटीपी प्रमाणीकरण एक बार हो चुका है, उसे पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- छात्र का आवेदन अग्रसारित करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि छात्र द्वारा चुने गये पाठ्यक्रम की फीस संस्था द्वारा अंकित की गयी हो तथा अंकित की गयी फीस का सत्यापन विश्वविद्यालय एवं अफलियेटिंग एजेन्सी, सम्बन्धित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाना अनिवार्य है।
- बैंक खाते के सम्बन्ध में सभी छात्रों को संस्था द्वारा यह अवगत करा दिया जाय कि छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में आधार से लिंक/सीडेड बैंक खाता बैंक नियमों के अनुसार के0वाई0सी0 (KYC) पूर्ण स्वयं का आधार सीडेड खाता(बैंक खाते में लिंकिंग एवं एन0पी0सी0आई0 में सीडिंग के साथ) हो तथा छात्र के खाते में लेन–देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय–अन्तराल में हो रहा हो एवं छात्र के खाते में कुल धनराशि के आनलाइन ट्रांसफर के समय कोई सीमा (Limit) निर्धारित न हो तथा खाता बन्द न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव हो सके।
- शिक्षण संस्थान को नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्रों के नवीनीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक छात्रवार स्पष्ट कारण यथा–छात्र परीक्षा में असफल हुआ या शिक्षण संस्थान छोडकर चला गया आदि का अनिवार्य रूप से स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाईन अंकित करके प्रधानाचार्य एवं नोडल अधिकारी को अपने डिजिटल सिग्नेचर से समय–सारिणी में दी गयी निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत भरते हुये सत्यापित करना होगा। इस डाटा का शिक्षा विभाग/कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा सत्यापन भी किया जायेगा।
- नये छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में आनलाइन आवेदन में हुई कतिपय त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जायेगा। यह मुख्य रूप से आय, जाति प्रमाण पत्र के कमांक एवं आवेदन कमांक की प्रविष्टि में त्रुटि एवं आय में त्रुटि की प्रविष्टि में त्रुटि से सम्बन्धित होगी जिसे छात्र सही करके पुनः सब्मिट करेंगे।
- छात्र का आवेदन आनलाइन संस्था द्वारा प्राप्त करने, वेरीफाई करने तथा अग्रसारित करने की सुविधा दी गयी है। निर्धारित अन्तिम तिथि के कम से कम 04 दिवस पूर्व तक छात्र अपने आनलाइन आवेदन को पूर्ण कर लें ताकि यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे सुधारने का अवसर प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व उन्हें मिल सके।
- राज्य स्तरीय स्कूटनी में संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र एवं संस्था के लागिन पर समय–सारिणी में दी गयी समयावधि में प्रदर्शित किया जायेगा और

आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करने का एक और अवसर प्राप्त होगा। सही किये गये आवेदन पत्र का छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट लेकर संस्था में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा तथा संस्था द्वारा परिवर्तित किये गये आवेदन पत्र को पुनः आनलाइन अग्रसारित करना अनिवार्य होगा अन्यथा संशोधित किया गया आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।

- राज्य स्तरीय स्कूटनी में संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र एवं संस्था के लागिन पर समय–सारिणी में दी गयी समयावधि में प्रदर्शित किया जायेगा। संस्था का यह दायित्व होगा कि सन्देहास्पद डाटा के छात्रों के सम्बन्ध में समय–सारिणी में निर्धारित समयावधि में जनपदीय अधिकारी को आनलाइन छात्र द्वारा उत्तर अंकित कराते हुये तथा उस उत्तर को आनलाइन सत्यापित करते हुये अपना उत्तर प्रस्तुत करेगें।
- संस्थायें वर्ष 2021–22 की समय–सारिणी, नियमावली एवं समय–समय पर प्रदर्शित की जाने वाली अन्य सूचनाओं हेतु **https://scholarship.up.gov.in** पर लागिन करके प्राप्त कर सकते हैं।

निदेशक
समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश।

सिद्धार्थ मिश्र
सहायक निदेशक
निदेशालय समाज कल्याण
उ०प्र०, लखनऊ

(जे० राम)
उपनिदेशक

(पी० के० त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक

19/7/2021
(राकेश कुमार)
निदेशक